राजस्व आवेदन संख्या 74 / 2023
दोपदी बनाम चैनाराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 74 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2023 / 117

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.श्रीमति दोपदी पत्नि भंवरलाल जाति जाट 2.सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.चैनाराम पुत्र लाभू 2.जवरीलाल पुत्र सुरताराम 3.नारायणराम पुत्र धोकलराम 4.पेपी पत्नि मांगीलाल 5.पूरो पत्नि सुरताराम 6.बालाराम पुत्र लाभूराम 7.भंवरलाल पुत्र मांगीलाल 8.मांगी पत्नि धोकलराम 9.माधाराम पुत्र सुरताराम 10.मोड़ाराम पुत्र मांगीलाल 11.राणाराम पुत्र मांगीलाल 12.राणी पत्नि देराज 13.रामाराम पुत्र लाभू 14.लाधाराम पुत्र धोकलराम 15.विसनाराम पुत्र मांगीलाल 16.सवाईराम पुत्र मांगीलाल 17.तहसीलदार कल्याणपुर 18.शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा मंडली 19.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई.बैक शाखा मण्डली 20.मांगीलाल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 74/2023
द्रोपदी बनाम चेनाराम वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 16

3.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 20

4.विप्रार्थी संख्या 17 से 19 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक– 12/09/2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.श्रीमति द्रोपदी पत्नि भंवरलाल 2.सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 340/339 मौजा जास्ती तहसील कल्याणपुर में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6339/158 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 16 की ओर से वकालतानाम पेश किया गया,साथ ही उक्त विप्रार्थी की तरफ से प्रार्थीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता श्री खुशहालराम पटेल द्वारा विप्रार्थी संख्या 20 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 17 से 19 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार कल्याणपुर से तलब की गई,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 339/158 भूमि में से 20 फीट बरंग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए श्री न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा रास्ता की जांच दुबारा करवाने पर खसरा संख्या 159 में भी रास्ता प्रस्तावित किए जाने पर उक्त खसरान के खातेदार को आवश्यक विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है,प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नही है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की ओर से आवेदित रास्ता का आवागमन के लिए कभी प्रयुक्त नहीं रहा है तथा न ही मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा श्री न्यायालय से उक्त तथ्यो को छिपाया कि खसरा संख्या 340/339 के अलावा उक्त खसरा संख्या 340/339 के जुड़ता एक अन्य खसरा संख्या 338/158 भी प्रार्थीगण के खातेदारी का है,जो आवागमन के कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ है,उक्त तथ्य जमाबंदी व लटढा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि जहां रास्ता उपलब्ध हो,वहां सुविधा के लिए पड़ौसी खातेदार की खातेदारी भूमि मे से आवागमन हेतु रास्ता घोषित नही किया जा सकता है,क्योकि ऐसा करने मे विधि की मुमानियत है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. विप्रार्थी संख्या 20 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 339/158 मे से आवागमन के लिए रास्ता का अनुतोष चाहा गया था,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा अपनी मनमर्जी के तौर पर विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है,जबकि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी की भूमि मे से रास्ता चाहा ही नही गया था,इसके उपरांत भी मौका पर रास्ता उपयोग नही होने के उपरांत भी पक्षकारान के मध्य विवाद बढाने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया है,जबकि विप्रार्थी के खेत मे प्रार्थीगण द्वारा कभी आवागमन के लिए रासता उपयोग नही किया गया है और न ही मौके पर रासता है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 340/339 के पास मे खसरा संख्या 338/158 भी प्रार्थीनी के खातेदारी की है,जो आगे चल कर पक्की सड़क से मिलान करती है। प्रार्थीनी अगर चाहे तो अपने उन खेतो के अंदर से आवागमन कर सकती है,परन्तु जानबुझकर विप्रार्थी को परेशान करने के लिए रास्ते की मांग की है,जो गलत है। अतं प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 339/158 व 159 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार कल्याणपुर ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

7. (1)ग्राम जारली तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 340/339 का कृषि कार्य हेतु मौके पर कोई रास्ता नही है,डामरीकरण रोड़ कोरणा–जारली खसरा संख्या 339/158 खसरे से ही रोड़ नजदीक है,बाकी कोई रास्ता नजदीक नही है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता का अपनी सुविधा मात्र उपयोग करने के लिए चाहा जा रहा है,ऐसा कोई मौका जांच मे पाया नही गया है। प्रस्तावित रास्ते मे कोई भी पक्का निर्माण नही पाया है। प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किए जाने की तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा सिफारिश की गई थी।

(2) प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 339/158 के संबध मे तहसीलदार कल्याणपुर से स्पष्टीकरण रिपोर्ट तलब किए जाने पर तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा दुबारा जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार पूर्व मे प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 339/158 मे से सड़क से लगते भूमि पर मकान बनाए जाने के कारण खसरा संख्या 159 मे भी रास्ता दिए जाने उचित बताया गया।

8. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 340/339 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है,अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। तहसीलदार कल्याणपुर की मौका जांच रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पूर्व मे प्रेषित मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.2.2025 में प्रस्तावित खसरा संख्या 339/158 मे कोई भी पक्का निर्माण नही बताया गया था तथा मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 08.6.2025 मे दर्शित नक्शा मे खसरा संख्या 339/158 सड़क से लगती भूमि पर विप्रार्थी द्वारा मकान होना बताया जाकर खसरा संख्या 159 मे से भी भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 339/158 के खातेदारान द्वारा मौका जांच होने के बाद प्रार्थीगण को रास्ता नही दिए जाने की चेष्टा रखते हुए प्रस्तावित भूमि पर मकान का निर्माण करवाया गया है,जो कि विप्रार्थी का कृत्य कानूनी की नजर में सही नही है। क्योकि प्रार्थीगण को आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्या कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ही नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण को प्रस्तावित रासता दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

9. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 339/158 मे से रकबा 0.0708 हैक्टयर व खसरा संख्या 159 मे 0.0125 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर 1,86000/-प्रति हैक्टयर के हिसाब से कुल भूमि के बदले मे प्रतिकर दुगुनी राशि दिए जाने का प्रावधान है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>आदेश</u> :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम जास्ती तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 340/339 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी खसरा संख्या 339/158 मे से क्षेत्रफल 0.0708 हैक्टयर व विप्रार्थी संख्या 20 की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 159 मे से 0.0125 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट (तहसीलदार कल्याणपुर के पत्रांक 248/08.6.2025) में दर्शित नक्शानुसार बरंग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर वर्तमान डी.एल.सी.दर से गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल करते हुए नियमानुसार विप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार भुगतान की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पत्र क्रमांक 248/08.6.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

12/09/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12/09/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

12/09/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा